सिटीजन – चार्टर
(CITIZEN - CHARTER)

वर्ष 2021–22

निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

सुद्धोवाला, चकराता रोड निकट नंदा की चौकी

देहरादून ।

ई मेल – dir.icds@gmail.com

वैबसाईट – wecd.uk.gov.in

निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड का सिटीजन चार्टर

01– **उद्देश्य / प्रयोजन** – विभाग द्वारा उत्कृष्ट जनसेवा प्रदान करने के उद्देश्य / प्रयोजन हेतु यह सिटीजन चार्टर बनाया गया है ।

02– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाएं एवं विवरण ।

क्र. सं.	केन्द्रीय योजनाएं	केन्द्राश	राज्यांश	क्र. सं.	राज्य योजनाएं
1	आई0सी0डी0एस0	90 %	10%	11	नन्दा गौरा योजना
2	अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम	90 %	10%	12	मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान
3	राष्ट्रीय पोषण मिशन	95 %	5%	13	मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना
4	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना	100 %	-	14	राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार
5	आंगनबाड़ी भवन निर्माण	100 %	-	15	आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरूस्कार योजना
6	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	100 %	-	16	आंगनबाड़ी कर्मियो हेतु कल्याण कोष
7	राष्ट्रीय महिला हेल्प लाइन	100 %	-	17	उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना
8	वन स्टाप सेन्टर	100 %	-	18	मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना
9	महिला शक्ति केन्द्र योजना	90 %	10%	19	किशोरी बालिकाओ हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था
10	निर्भया फण्ड योजना	90 %	10%		

- **टेक होम राशन ;THR)**: प्रत्येक माह की 05 तारीख को वजन एवं पोषण दिवस के दिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/वित्तीय सीमा के अन्तर्गत 6 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं को 25 दिन के लिये टी0एच0आर0 के रुप में सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। **टी0एच0आर0 के अन्तर्गत स्थानीय अनाज, जैसे– मण्डुआ, काला भट्ट, चौलाई, सोयाबीन आदि को शामिल किया गया है। इस प्रकार वर्ष में 300 दिन टी0एच0आर0 वितरण किया जाता हैं।**

- **कुक्ड फूड ;ताजा पका भोजन)**: आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत, 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन सुबह का नाश्ता एवं ताजा पका भोजन दिया जाता है। माता समिति निर्धारित रेसिपी के आधार पर बाजार दरों पर खाद्यान्न क्रय कर उपलब्ध करवाती हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना –:

योजना का प्रारम्भ – 01 जनवरी, 2017

- केवल प्रथम बच्चे के होने पर ही इस योजना का लाभ दिया जाता है।

- ऐसी गर्भवती एवं धात्री माता जो स्वयं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है तो उन्हें इस योजना से लाभ नहीं किया जा सकता।

नन्दागौरा योजना :–

- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर नन्दा गौरा योजना दिनांक 01.07.2017 से बाल विकास विभाग में लागू की गयी, जिसके अंतर्गत राज्य के स्थाई निवासी पात्र परिवार की 02 जीवित बालिका को 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त प्रथम बाल लाभान्वित होने के लिए योजना का लाभ 02 चरणों (बालिका के जन्म पर रू0 11000.00 मात्र एवं अविवाहित बालिका को 12वीं कक्षा उर्तीण करने पर) में दिया जाता है ।

वन स्टॉप सेन्टर :–

➢ इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को घरेलू हिंसा, बाल यौन उत्पीडन, गुमशुदा, यौन उत्पीडन, साइबर क्राइम, एसिड अटैक, बाल विवाह, कानूनी सहायता, परामर्श सहायता, चिकित्सा सुविधा एवं पुलिस सहायता आदि हेतु प्रदान की जाती है ।

बेटी बचाओं बेटी पढाओ

- योजना की प्रारम्भ : 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से ।
- दिनांक 08 मार्च 2018 को झुनझुना, राजस्थान से योजना का विस्तारीकरण समस्त जनपदों में।

राष्ट्रीय महिला हैल्पलाइन 181 :–

- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक एवं त्वरित सहायता / सेवा प्रदान करने हेतु 24 x 7 निःशुल्क टोल फ्री सुविधा प्रदान की जाती है ।

विरांगना तीलू रौतेली कामकाजी महिला छात्रावास :–

- जनपद देहरादून , हरिद्वार एवं जनपद उत्तरकाशी में संचालित **विरांगना तीलू रौतेली कामकाजी महिला छात्रावास** छात्रावास में विभिन्न विभागों या निजी क्षेत्रों के उद्योगों या संस्थाओं में कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम दरों पर उन्हें आवासीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है ।

समग्र लक्ष्य

❖ बालिका जन्मोत्सव मनाना एवं बालिकाओं को शिक्षा दिलाना।

उद्देश्य

❖ जेन्डर आधारित पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की रोकथाम एंव समापन।

❖ बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना।

❖ बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करना।

वन स्टॉप सेन्टर 24ग7 सेवाएं

महिला शक्ति केन्द्र योजना का उद्देश्य ।

➢ महिला शक्ति केन्द्र योजनान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत गतिविधियां आयोजित करना ।

- जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- समन्वयन बैठकों का आयोजन करना ।
- जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाना।
- महिलाओं/बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वर्तमान तक कुल **2500 प्रतिभागियों** को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षित तथा महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जन–जागरूकता चलाया जाता है।

बाल कल्याण निधि के अन्तर्गत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम

- बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष–2006 में ''बाल कल्याण निधि'' की रचना की गयी। बाल कल्याण हेतु सृजनात्मक, समानता, आत्म गौरव, नैतिक मूल्यों का विकास, उद्बोध एवं शैक्षिक संबन्धित गतिविधियों का सृजन करना, बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान करना, बाल अधिकार से सम्बन्धित मुद्दों पर कार्यशाला, अध्ययन, सूचना शिक्षा संचार सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन ।

किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था

किशोरी बालिकाओं/महिलओं में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना संचालित है।

- नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, टिहरी गढ़वाल एवं बागेश्वर में सैनेटरी नैपकिन यूनिट स्थापना। देहरादून के MKP कॉलेज एवं नारी शिल्प, इण्टर कॉलेज में **सैनेटरी नैपकिन वैंडिंग मशीन की स्थापना।** बालिकाओं को सैनेटरी नैपकिन का वितरण एवं पैडमेन मूवी प्रदर्शन आदि कार्य सम्पादित किये गये है ।
  पौडी गढ़वाल एवं हरिद्वार में सैनेटरी नैपकिन इकाई की स्थापना
- **मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना**
  उत्तराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के उददेश्य से निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हुये स्वावलंबन की ओर अग्रसर किये जाने की दिशा में उक्त योजना संचालित की जा रही है।

विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के पदों का विवरण ।

क0स0	संवर्ग	पद नाम	स्वीकृत पद
1	"क"	निदेशक	1
2		संयुक्त निदेशक	1
3		उप निदेशक	2
4		वित नियन्त्रक	1
5		विधि अधिकारी	1
6	"ख"	जिला कार्यक्रम अधिकारी	13
7		बाल विकास परियोजना अधिकारी	105
8		मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	11
9		वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	17
10	"ग"	प्रशासनिक अधिकारी	17
11		सुपरवाईजर	597
12		प्रधान सहायक	37
13		लेखाकार	1
14		सहायक लेखा कार/लिपिक	1
15		वरिष्ठ सहायक	58
16		कनिष्ठ सहायक	67
17		सांख्यकीय सहायक	59
18		संगणक	8
19		जीप चालक (मृत संवर्ग)	11
20	"घ"	अनुसेवक (मृत संवर्ग)	64

विभागीय सूचनाओं की उपलब्धता – कार्यदिवस में 10.00 बजे पूर्वाहन से सांय 5.00 बजे तक कार्यालय से सूचनायें प्राप्त की जा सकती हैं । सांय 05.00 बजे के बाद कार्यालय बन्द होने के उपरान्त भी सूचनायें इण्टरनेट की बैबसाइट wecd.uk.gov.in पर देखी जा सकती है ।

आंकडों / सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं से ताल मेल :– सामान्यतः महिला सशक्तिरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा एकत्रित किये जाने वाले आंकडों के विषयक प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं से सम्बन्धित पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं ।

विभागीय तथा शासन स्तर पर संग्रह किये जाने वाले आंकडों को अधिक उपयोगी तथा सार्थक बनाने हेतु समय समय पर आयोजित बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है ।

निम्न बिन्दुओं पर आपका सहयोग अपेक्षित है :– सिटीजन चार्टर विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता तथा उपयोगिता बढाने के लिए आपका और हमारा एक संयुक्त प्रयास है । इस कार्य हेतु निम्नानुसार सहयोग की अपेक्षा की जाती है :–

01– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जिला कार्यक्रम कार्यालयों एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के प्रकाशन सुगमता से उपलब्ध करवाये जाते हैं । इस प्रकाशनों के अवलोकन करने के उपरान्त यदि आवश्यक समझा जाय तो प्रकाशन की कमियों तथा उनके सुधार से सम्बन्धित विचार अधिकृत अधिकारी को अवगत करवायें जा सकते हैं ।

02– काई भी जन समस्या जिनकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, के अभिज्ञान हेतु समाधान के लिए सुझाव प्रदान किये जा सकते हैं ।

03– समय समय पर शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है । उस योजना के सम्बन्ध में कोई शंका हो तो विभाग द्वारा उन योजना के कार्यों के स्थलीय सत्यापन की व्यवस्था है ।

04– विभाग में कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी / सुपरवाईजर / आंगनबाडी कार्यकत्रियों के द्वारा घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित की जाती है । अतः यह अपेक्षा की जाती है कि यदि विभाग का कोई अधिकारी / कर्मचारी सूचनायें प्राप्त करने हेतु आए तो उन्हें निसंकोच सही सही सूचनायें प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए ताकि मूल उद्देश्य की पूर्ति हो सके । संग्रह की जाने वाली सूचनाएं केवल सांख्यिकी प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जाती है । अन्य विभाग जैसे आयकर, व्यापार कर या किसी भी अन्य विभागों से इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

निर्देश पुस्तिका / हस्त पुस्तिका ।

01– सूचना अधिकार अधिनियम 25 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित विस्तृत पुस्तिकायें तीन खण्डों में

प्रकाशित करवायी जा चुकी हैं । जो कि प्रत्येक जनपद स्थित जिला कार्यक्रम कार्यालयों में , विकास खण्ड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालयों , बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, सचिवालय के नियोजन अनुभाग तथा राज्य सूचना आयोग उत्तराखण्ड में उपलब्ध है । इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों से सम्पर्क किया जा सकता है ।